(जनसाधरण में विक्रयार्थ) संख्या १७

तामिल के प्रयोजन के लिये पता

(आदेश ७ नियम १६-१५,आदेश ६ नियम ११ व १२,आदेश ४१,नियम १८, आदेश ४६ नियम ८, आदेश ४७ नियम १० और आदेश ५२ नियम १ के अधीन)

न्यायलय स्थान

मूल वाद सन ई0

मामला वादी

बनाम प्रतिवादी

यह पता उस न्यायलय के अधीकार क्षेत्र के भीतर जहां स्थित किया जाये या उस न्यायलय के अधीन क्षे. के भीतर का होगा जहां पक्षकार साधारणतः निवास करता हो किन्तु शर्त यह है कि वह जिला उ0प्र0/ उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के भीतर स्थित हो और किसी अन्य प्रदेश की सीमा के भीतर स्थित न हो

नाम, पिता का नाम और जाति	निवास स्थान	परगना या तहसील	डाकघर	जिला
				पक्षकारों के नाम – वाद संख्या – न्यायलय का नाम–

सन् के के दिवस को दिनांकित

भविष्य कि कुल सम्पन्न सूचनाएं या आदेश इस वाद में मेरे उपरिवार्णित नाम और पते के अनुसार निकाले जाएं जब तक मैं कोई परिवर्तन की सूचना दाखिल न करूंगा । यदि इस पते में पुनः परिवर्तन होगा व सूचना तत्काल दाखिल करूंगा जिसमें कुल नई विशिष्टियां वार्णित होंगी ।

[

[वादी

{ प्रतिवादी

पक्षकर के हस्ताक्षर [अपीलार्थी

[प्रतयुत खाता

या

अपने मुवक्किल ..... और हैसियत ..... के आदेशानुसार

अधिवक्ता के हस्ताक्षर

ज्ञापन–जब यह प्रारूप न्यायलय में प्राप्त हो तो यह आवश्यक है कि उस पर प्राप्त हाने की दिनांक के मुद्रा दिखाई जाये और वह संस्थित किये गये वाद या मामले के अभिलेख में सम्मिलित किया जाये ।